



2026:AHC-LKO:21187-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट-ए संख्या - 2993 वर्ष 2026**

भारत संघ, द्वारा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,

नई दिल्ली एवं 4 अन्य

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

आईसी 45549ए मेजर जनरल संजय सेठी (सेवानिवृत्त),

लखनऊ

....

प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : बलबीर सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या-1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राय****माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला****अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. भारत संघ द्वारा यह याचिका सशस्त्र बल अधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ द्वारा स्थानांतरण आवेदन संख्या 45 वर्ष 2023 में पारित दिनांक 05.12.2024 के निर्णय एवं आदेश को चुनौती देते हुये दाखिल की गई है।
3. यद्यपि, परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान रिट कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते हैं, तथापि, एक वादकारी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के विवेकाधीन असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग, बिना किसी विलंब के, तत्परता एवं परिश्रम के साथ करना होता है। वर्तमान प्रकरण में, यह याचिका सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा निर्णय पारित किए जाने के एक वर्ष से अधिक समय पश्चात् दाखिल की गई है।
4. इस पर सामना होने पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बिलंब का स्पष्टीकरण रिट याचिका के प्रस्तर 4 एवं 5 में किया गया है, जो निम्नवत् है:-

"4. कि जहाँ तक रिट याचिका दाखिल करने में उत्पन्न कुछ बिलंब का संबंध है, वह जानबूझकर नहीं है, अपितु वही सद्भावनापूर्ण एवं वास्तविक है, जो क्षमा किये जाने योग्य है। यह कहा गया कि सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा दिनांक 13.12.2022 को निर्णय घोषित किया गया। एतदपश्चात्, प्रकरण का परीक्षण याचिकाकर्ता संख्या 1 के स्तर पर किया गया तथा यह अवगत कराया गया कि विकलांगता पेंशन/तत्त्व के अनुदान से संबंधित, निरस्तीकरण/आभासी निरस्तीकरण प्रकरणों से भिन्न, सभी प्रकरण इस संबंध में कि क्या ऐसे आदेशों को कार्यान्वित किया जाना है अथवा चुनौती दी जानी है, विद्वान भारत के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

महान्यायवादी के समक्ष विचाराधीन थे। विधिवत् विचार-विमर्श के उपरांत, दिनांक 18.09.2023 को विद्वान महान्यायवादी ने यह अभिमत व्यक्त किया कि ऐसे सभी आदेशों को, जिनमें व्यक्तियों को सेवा से विकलांगता के आधार पर, “न तो सेवा के कारण उत्पन्न हुई थी और न ही सेवा के कारण बढ़ी थी” (नाना) अधिवर्षता प्रकरणों में, कार्यकाल की समाप्ति पर मुक्त किया गया है, सक्षम अधिकारिता वाले माननीय उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएँ दाखिल करके चुनौती दी जाए। तत्पश्चात् याचिकाकर्ता संख्या 1 ने दिनांक 04.10.2023 के पत्र द्वारा यह अनुशंसा की कि ऐसे सभी आदेशों को सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले माननीय उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दाखिल करके चुनौती दी जाए। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता संख्या 3 द्वारा जारी दिनांक 24.01.2025 के पत्र द्वारा सभी संबंधित विधिक प्रकोष्ठों को सक्षम उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट याचिकाएं दाखिल करने हेतु निर्देश जारी किया गया।

5. यह कि एतदपश्चात्, अभिलेख संबंधित कार्यालयों के माध्यम से प्रेषित किए गए तथा याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका की तैयारी हेतु विद्वान उप महाधिवक्ता से संपर्क किया। यह प्रस्तुत किया गया कि आवश्यक अभिलेखों के संकलन, अधिवक्ता को निर्देश देने, रिट याचिका के प्रारूपण एवं अंतिम रूप देने में कुछ समय व्यतीत हुआ। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न समान प्रकृति के प्रकरणों की अधिक संख्या के कारण, वर्तमान रिट याचिका तैयारी एवं दाखिल करने में अतिरिक्त समय अनिवार्य रूप से व्यतीत हुआ। यह कि इस प्रकार उत्पन्न हुआ बिलंब न तो जानबूझकर है और न ही आशयपूर्वक, अपितु वह सद्भावनापूर्ण एवं प्रक्रियात्मक प्रकृति का है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायहित में वर्तमान रिट याचिका दाखिल करने में हुए बिलंब को क्षमा करने की कृपा करे। "

5. उपरोक्त के अतिरिक्त, बिलंब के संबंध में और कुछ भी कथित नहीं किया गया है।

6. हमने प्रस्तर संख्या 4 एवं 5 के प्रत्येक शब्द का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया और दिसंबर, 2024 में प्रदत्त निर्णय को चुनौती देने हेतु रिट याचिका दाखिल करने में किसी भी प्रकार की सद्भावना, वास्तविकता अथवा परिश्रम नहीं पाते हैं।

स्पष्टतः, रिट याचिका बिलंब एवं शिथिलता से ग्रस्त है, जो ऐसे आधार हैं जिन पर रिट न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग से इंकार कर सकता है। उपरोक्त उद्धृत प्रस्तरों में, किसी भी तिथि एवं विवरण दिए बिना, अस्पष्ट एवं सामान्य कथन किए गए हैं। यह याचिकाकर्ता की ओर से इतने अधिक बिलंब एवं शिथिलता को छिपाने का मात्र एक आडंबरपूर्ण प्रयास है। हम इस रिट याचिका को एक वर्ष से अधिक समय पश्चात् विचारार्थ स्वीकार करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से हुए ऐसे बिलंब एवं शिथिलता के पश्चात्, उत्तरदाता को सूचना जारी करके उसे इन कार्यवाहियों का सामना करने के लिए बाध्य करना अत्यंत अनुचित होगा।

7. वास्तव में, हम पाते हैं कि ऐसे अनेक रिट याचिकाओं में, जिनमें इस प्रकार का बिलंब सम्मिलित है, शब्दशः समान स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है, जो स्वयं यह दर्शाता है कि ऐसी याचिकाएँ यांत्रिक रूप से दाखिल की जा रही हैं तथा बिलंब के लिए प्रस्तुत स्पष्टीकरण भी यांत्रिक है। हम इस संदर्भ में आज सूचीबद्ध अन्य रिट याचिकाओं, धारित वाद संख्या रिट ए संख्या 2964 वर्ष 2026, रिट ए संख्या 2969 वर्ष 2026 तथा रिट ए संख्या 2974 वर्ष 2026 हैं, को भी संदर्भित कर सकते हैं। इस रिट याचिका के प्रस्तर संख्या 4 एवं 5 की तुलना रिट ए संख्या 2964 वर्ष 2026, रिट ए संख्या 2969 वर्ष 2026 तथा रिट ए संख्या 2974 वर्ष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2026 के प्रस्तर संख्या 5 एवं 6 से करने पर, हम पाते हैं कि कथन लगभग शब्दशः समान हैं। यह याचिकाकर्ता की ओर से अत्यंत अनौपचारिक एवं अनुचित दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है।

8. वास्तव में, अन्य समान रिट याचिकाओं से, जिनमें से कुछ को आज ही रिट ए संख्या 2969 वर्ष 2026 तथा रिट ए संख्या 2974 वर्ष 2026 के रूप में निरस्त किया गया है, हम अभिकथनों से पाते हैं कि विद्वान महान्यायवादी ने दिनांक 18.09.2023 को ऐसे सभी आदेशों को चुनौती देने का अभिमत प्रदान किया था, किन्तु यह याचिका वर्ष 2026 में दाखिल की गई है।

9- उपरोक्त शर्तों के अनुसार रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

23 मार्च, 2026

लोकेश कुमार

(न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला) (न्यायमूर्ति राजन राय)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।